पत्रांक– 3/एम–77/2012 सा0प्र0– 8060/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 3. 6. 2016

विषयः– वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के अनुपलब्ध रहने की स्थिति में सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नति पर विचारण हेतु विशेष चारित्री अभिलिखित करने के संबंध में।

महाशय,

सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नति में गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता के कारण होने वाले विलम्ब को रोकने हेतु इस विभाग द्वारा गोपनीय अभ्युक्तियों के ससमय अभिलेखन के संबंध में विभिन्न परिपत्र निर्गत किये गये हैं। इस संबंध में निर्गत विभिन्न विभागीय परिपत्र यथा परिपत्र सं0– 10570, दिनांक– 24.10.2007, परिपत्र संख्या– 2108, दिनांक– 31.05.2010, एवं परिपत्र सं0– 1836, दिनांक– 01.02.2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्रों द्वारा सरकारी सेवकों की गोपनीय अभ्युक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उन्हें देय प्रोन्नति पर विचारण हेतु निम्न विकल्प प्रावधानित किये गये हैं :–

(i) विभागीय परिपत्र सं0 10570 दिनांक 24.10.2007 के अनुसार यदि किसी कारण वश देय प्रोन्नति की तिथि/वर्ष से पिछले पाँच वर्षों में से मात्र तीन वर्षों की ही गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध हो तो, उक्त पाँच वर्षों से पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से दो वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर उसके आधार पर प्रोन्नति के मामले पर विचार किया जाय।

(ii) पिछले पाँच वर्षों में से तीन वर्षों की भी गोपनीय अभ्युक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में विभागीय परिपत्र संख्या– 2108 दिनांक– 31.05.2010 द्वारा वर्ष 2009–10 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के मामले में यह

प्रावधानित किया गया था कि यदि ऐसी गोपनीय अभ्युक्तियों को अभिलिखित कराया जाना संभव नहीं रह गया हो तो वैसे वर्षों के लिए सम्बंधित सरकारी सेवक के वर्त्तमान पदस्थापन वाले विभाग/कार्यालय के प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक के कार्य कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र दिया जाय। ऐसा प्रमाण–पत्र, किसी सरकारी सेवक के पूरे सेवाकाल में मात्र एक बार दिया जायेगा और इसे अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का पर्याय माना जायेगा तथा इसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक को देय प्रोन्नति हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा।

(iii) विभागीय परिपत्र संख्या– 1836 दिनांक– 01.02.2013 द्वारा विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र सम्बंधी उपर्युक्त कंडिका के प्रस्ताव को वर्ष 2009–10 के स्थान पर वर्ष 2010–11 तक के लिए विस्तारित किया गया।

2. उपर्युक्त वर्णित दिशा निर्देशों के बावजूद भी ऐसे दृष्टांत सामने आये हैं जिनमें संबंधित सरकारी सेवक की एक भी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसी भी स्थितियाँ बारम्बार सामने आ रही हैं, जिनमें एक प्रोन्नति विशेष चारित्री प्रमाण पत्र के आधार पर दिये जाने के उपरांत, पुनः अगली प्रोन्नति के लिए भी किसी भी वर्ष की गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध नहीं रहती है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नतियाँ लंबे समय तक विभिन्न विभागों में लंबित रहती हैं अथवा विभिन्न विभाग अपने स्तर से ऐसे मामलों में अलग–अलग निर्णय लेते रहते हैं।

3. उल्लेखनीय है कि वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का अभिलेखन, संबंधित नियंत्री प्राधिकार का दायित्व है, एवं इसकी अनुपलब्धता में संबंधित सरकारी सेवक का बहुधा कोई दोष नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में प्रोन्नति पर विचारण के क्रम में वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अनुपलब्धता की समस्या से निबटने हेतु सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधी पूर्व में निर्गत परिपत्रों द्वारा किये गये प्रावधानों को निम्नलिखित हद तक संशोधित करने का निर्णय लिया जाता है:–

(i) प्रोन्नति पर विचारण के क्रम में विगत 5(पाँच) वर्षों में से मात्र 36(छत्तीस) माहों की ही गोपनीय अभ्युक्ति उपलब्ध रहने पर, उक्त 5(पाँच) वर्षों से पूर्व के संलग्न वर्षों की उपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों में से, 2(दो) वर्षों की अभ्युक्तियों का अवलोकन कर, उसके आधार पर प्रोन्नति के मामलों पर विचार किया जा सकेगा।

(ii) कार्यरत सरकारी सेवकों को देय प्रोन्नतियों (ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 सहित) पर विचारण के क्रम में उनकी अनुपलब्ध गोपनीय अभ्युक्तियों की स्थिति में विभागीय परिपत्र सं0–1836 दिनांक– 01.02.2013 के प्रावधानानुसार वर्ष–2010–11 तक की अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों के लिए सम्बंधित सरकारी सेवक के वर्त्तमान पदस्थापन वाले विभाग/कार्यालय के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा सम्बन्धित सरकारी सेवक के कार्य कौशल, चरित्र, आचरण आदि का मूल्यांकन करते हुए, विशेष चारित्री प्रमाण–पत्र दिये जाने संबंधी प्रावधान का विस्तार अगले आदेश तक के लिये किया जाता है। अर्थात् उक्त अवधि के बाद की अवधि के लिए भी विशेष परिस्थिति में विशेष चारित्री प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा, जो अनुपलब्ध वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्यमुल्यांकन प्रतिवेदन का पर्याय माना जायेगा। इसके आधार पर संबंधित सरकारी सेवक की प्रोन्नति (ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 सहित) हेतु योग्यता का आकलन किया जा सकेगा तथा ऐसे विशेष चारित्रीं प्रमाण पत्र पूरे सेवाकाल में केवल एक बार दिये जा सकने के प्रतिबंध को भी अगले आदेश तक शिथिल किया जाता है।

4. इसका आशय यह कदापि नहीं है कि सरकारी सेवकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के नियमित अभिलेखन की अनिवार्यता नहीं होगी। संबंधित विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों के नियमित वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखन/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अनुश्रवण व्यक्तिगत तौर पर करेंगे और केवल वैसे मामलों में ही जिनमें वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अनुपलब्धता में सरकारी सेवक का कोई दोष नहीं है, ऐसा विशेष चारित्री प्रमाण पत्र सम्बंधित सरकारी सेवक के वर्त्तमान पदस्थापन वाले विभाग/कार्यालय के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा दिया जा सकेगा। सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के संबंध में भी उनके अंतिम

पदस्थापन वाले विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार द्वारा उक्त विशेष चारित्री प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा।

5. सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/नियंत्री प्राधिकार अपने अधीनस्थ सरकारी सेवकों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, तत्संबंधी विभागीय परिपत्रों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अभिलिखित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपर्युक्त वर्णित विशेष चारित्री प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान का उपयोग विशेष परिस्थिति में ही करना पड़े। अतः सभी प्रतिवेदक पदाधिकारी/समीक्षी पदाधिकारी/स्वीकरण पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपना कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) प्रतिवेदक पदाधिकारी को समर्पित करते समय इस आशय का प्रतिवेदन देंगे कि उनके द्वारा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों (सूची सहित) की पिछले वर्ष की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) लिख दिया गया है। अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) ससमय अभिलिखित नहीं करने वाले पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(अभिषेक सिंह, भा0प्र0से0)
सरकार के अपर सचिव